वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 137 /2025 *दिनांक- 14.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 14.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना अतरौलिया किशोरी का अपहरण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

पूर्व की घटना –

दिनांक 02.04.2025 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि मेरी नाबालिग पुत्री को आरोपी **आरिफ पुत्र सदरुद्दीन, निवासी सदर बाजार, वार्ड न0 5, नगर पंचायत अतरौलिया, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़** द्वारा बहला – फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 03.04.2025 को **मु0अ0सं0 110/25 धारा- 137(2)/87 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया** । जिसकी **विवेचना उ0नि0 उमेश चन्द द्वारा सम्पादित की जा रही है ।**

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 14.04.2025 **को उ0नि0 उमेश चन्द मय हमराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित **अभियुक्त आरिफ पुत्र सदरुद्दीन,निवासी सदर बाजार ,वार्ड न0 5, नगर पंचायत अतरौलिया ,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़** को सौ शैया अस्पताल अतरौलिया के पास से समय करीब 10.00 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 110/25 धारा- 137(2)/87 बीएनएस, थाना अतरौलिया , जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 उमेश चन्द, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ ।

2. का0 सोनू यादव, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ ।

3.का0 बबलू अली, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ ।

02.थाना बरदह -चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण,चोरी की मोटर साइकिल व मोटर साइकिल पार्ट के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 16.11.24 को **वादी लखन्दर उर्फ जखन्दर पुत्र फऊलचन्द्र, ग्राम नरवे, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मैं अपनी पत्नी आरती देवी के नाम से मोटर साईकिल स्पेलेण्डर प्लस टेक डी.आर एस खरीदा हूँ जो किस्त पर है। दिनांक 15/11/24 को उस गाड़ी से मैं अपने ससुर को रिस्तेदारी में छोड़ने के बाद घर वापस आ रहा था कि समय 18.15 बजे नरवें नहर पुलिया के पास मोटर साईकिल खड़ा कर पेशाब कर रहा था तभी अज्ञात व्यक्ति हमारी मोटर साईकिल को चुरा कर लेकर चला गया। उक्त सूचना के आधार पर **थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 357/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 14.04.2025 को **उ0नि0 उमेश चन्द यादव मय हमराह** द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए **अभियुक्त सचिन उर्फ चंदन पुत्र कन्हैयालाल, ग्राम अमरामुफ्तीगंज, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर, उम्र 23 वर्ष** को हदीस दयाल गांव के नहर पुलिया से समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से बोरी में रखे गए सामान के बारे विषय में पूछने पर बताया गया कि इसमे मोटर साइकिल के पेट्रोल की टंकी व अगली पहिया का साकर रखा है जिसे दिनांक 15.11.2024 को मैने बरदह थाना क्षेत्र के नहर पर से एक व्यक्ति जो नहर के किनारे गाडी खडा किया था, जिसमें चाभी लगी थी से मैने चोरी किया था जिसका गाडी न0 UP50CXxxxx था, जिसके काफी पार्टस मैने खोल कर पहले ही घूम फिर कर समान खरीदने वाले

कबाड़ी को कई बार में बेच दिया था तथा उससे मिले रुपये को खर्च कर दिया था। बचे हुए पार्ट्स टंकी व मोटर साइकल के आगे के दोनों साकर जिसमे अगला मेडगार्ड भी लगा हुआ है को इस बोरे मे रखकर आज बेचने के लिए भोर के समय में ले जा रहा था। अभियुक्त द्वारा चलायी जा रही मोटरसाइकिल जिस पर नम्बर प्लेट नही लगा है

बारे में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इस मोटर साइकिल को हमने शान प्रिन्टर्स की दुकान के सामने कटघर लालगंज आजमगढ से नवम्बर 2024 में चुराया था। जिसका नम्बर प्लेट हटाकर चला रहा था। मोटरसाइकिल के बारे में जांच करने पर मोटरसाइकिल फैजुर्रहमान पुत्र नजरुद्दीन ग्राम बसही बालपुर थाना देवगांव आजमगढ के नाम से पाया गया। इसके विषय में जानकारी लेने पर पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में **थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 112/2025 धारा 303(2) BNS** पंजीकृत किया गया है। **अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 357/2024 धारा 303(2) BNS में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गई।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सचिन उर्फ चन्दन पुत्र कन्हैया लाल ग्राम अमरा मुफ्तीगंज थाना गौराबादशाहपुर , जनपद जौनपुर उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 357/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बरदह से सम्बन्धित चोरी गयी मोटर साइकिल नं0 UP50CX2790 का पार्ट - पेट्रोल टंकी व मोटर साइकल के आगे के दोनो साकर जिसमे अगला मेडगार्ड लगा है।
2. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 303(2) BNS थाना देवगांव, आजमगढ़ से सम्बन्धित चोरी की मोटर साइकिल नं0 UP50Z68xx

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 286/23 धारा 379/411 भादवि, थाना केराकर, जनपद जौनपुर
2. मु0अ0सं0 289/23 धारा 411/465 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 290/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना केराकत, जनपद जौनपुर
4. मु0अ0सं0 230/23 धारा 379/411 भादवि, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर
5. मु0अ0सं0 357/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस ,थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 303(2) BNS थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 उमेशचन्द यादव, थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय, थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 संदीप कुमार यादव, थाना बरदह, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस